Conduct of Elections Rules,1961 (statutory Rules and order)

FORM 21 C

(see rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** from the **SHEO- 134** Assembly Constituency.

In Pursuance of the Provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act,1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

SHRI AMEEN KHAN
VILLAGE POST- DETANI, TEHSIL- GADRA ROAD, DISTRICT- BARMER Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill
the seat in that House from the above constituency.

Place-Barmer Date- 11.12.2018

(NANURAM SAINI) RETURNING OFFICER 134-SHEO ASSEMBLY CONSTITUENCY

(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL MAGISTRATE)

RETURNING OFFICER
34-Sheo Assembly Constituency
Sub Divisional Officer and
Divisional Magistrate, Sheo

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

134— शिव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री अमीन खाँ, गांव पोस्ट— देताणी, तहसील— गडरारोड़, जिला— बाड़मेर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान – बाड़मेर दिनांक – 11.12.2018

> (नानूराम सैनी) रिटर्निग ऑफिसर 134— शिव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शिव) (नानूराम सैनी)

रिटर्निंग ऑफिसर 134-शिव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट) शिव